बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0 आ0 सं0 :– 2/अ0प्र0–7–02/2022 658 /पटना, दिनांक :– 1-12-25

श्री राकेश कुमार सुमन, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल दाउदनगर को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा दिनांक 17.05.2022 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0 022/2022 दिनांक 17.05.2022 धारा 7(a)(c) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किये जाने के मामले में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) (ग) एवं 9(2)(क) के तहत विभागीय आदेश सं0 22 सहपठित ज्ञापांक 996 दिनांक 07.06.2022 द्वारा श्री सुमन को दिनांक 17.05.2022 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. दिनांक 06.12.2022 को कारा से रिहा होने के पश्चात श्री सुमन द्वारा दिनांक 08.12.2022 के पूर्वाह्न में अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया। श्री सुमन द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(i) के तहत दिनांक 08.12.2022 के पूर्वाह्न से श्री सुमन का योगदान स्वीकृत किया गया। चूँकि कार्यालय आदेश सं0 22 सहपठित ज्ञापांक 996 दिनांक 07.06.2022 द्वारा श्री सुमन को नियम 9(1)(ग) के तहत भी निलम्बित किया गया था। अतएव कार्यालय आदेश सं0 61 सहपठित ज्ञापांक 2255 दिनांक 27.12.2022 द्वारा श्री सुमन के विरूद्ध दिनांक 08.12.2022 को योगदान के पश्चात पुनः निलम्बित समझे जाने का आदेश निर्गत किया गया। निलंबन अवधि में श्री सुमन का मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना निर्धारित किया गया।

3. श्री सुमन के विरूद्ध प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत आदेश ज्ञापांक 1657 दिनांक 01.08.2023 द्वारा मुख्य जॉच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। सम्प्रति उक्त विभागीय कार्यवाही जॉच आयुक्त के अधीन संचालित है। संचालन पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।

4. श्री सुमन द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 26.09.2024 के माध्यम से जीवन निर्वाह भत्ता में वृद्धि हेतु किये गए अनुरोध के आलोक में मामले की समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विलंब की संभावना को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1)(i) में निहित प्रावधानों के तहत कार्यालय आदेश सं0 47 दिनांक 29.10.2024 द्वारा श्री सुमन को मिल रहे जीवन निर्वाह भत्ता में उनके निलंबन अवधि एक वर्ष पूरा होने की तिथि से 50 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.ir

5. ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निलंबन की समीक्षा हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0 13888 दिनांक 21.07.2023 एवं आदेश सं0 21590 दिनांक 23.11.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.11.2025 को बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में श्री राकेश कुमार सुमन के संबंध में निम्न अनुशंसा की गई है–

"श्री राकेश कुमार सुमन का निलंबन अवधि 3 वर्ष 04 माह से अधिक हो चुका है। इनके विरूद्ध जॉच आयुक्त के अधीन संचालित विभागीय कार्यवाही में जॉच प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। आपराधिक मामले के निष्पादन में भी विलंब की संभावना है। निलंबन अवधि में इनको वेतन का लगभग 75 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करना पड़ रहा है और इनसे कोई भी विभागीय कार्य नहीं लिया जा रहा है।

अतः श्री सुमन को इस शर्त के साथ निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की जाती है कि निलंबन मुक्ति के पश्चात इनका पदस्थापन कार्य कोटि, संवेदनशील पदों, अंतिम पदस्थापन कार्यालय एवं गृह जिला को छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर की जायेगी।"

6. समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री सुमन को तत्काल प्रभाव से इस शर्त के साथ निलंबन से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है कि निलंबन मुक्ति के पश्चात इनका पदस्थापन कार्य कोटि, संवेदनशील पदों, अंतिम पदस्थापन कार्यालय एवं गृह जिला को छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर की जायेगी।"

7. अतः उक्त के आलोक में श्री राकेश कुमार सुमन, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्त होने के उपरान्त श्री सुमन, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।

8. श्री सुमन के निलंबन अवधि के विनियमन पर निर्णय उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

1/12/25

(आदित्य प्रकाश)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–7–02/2022 12120 /पटना, दिनांकः– 1-12-25

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव 1/12/25

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.ir

ज्ञापांकः— 2/अ०प्र०—7—02/2022 12120

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—8/श्री राकेश कुमार सुमन, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर सम्प्रति मुख्यालय—अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। /पटना/दिनांकः— 1-12-25

उप सचिव 1/12/25

ज्ञापांक :— 2/अ०प्र०—7—02/2022 12120

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। /पटना/दिनांकः— 1-12-25

उप सचिव 1/12/25

ज्ञापांक :— 2/अ०प्र०—7—02/2022 12120

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। /पटना/दिनांकः— 1-12-25

उप सचिव 1/12/25